



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
आयोग भवन, हरिद्वार-249404  
Website : www.ukpsc.gov.in

01334.244143

संख्या : 38 / 60 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17

दिनांक : 07 मई, 2019

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के माध्यम से प्रकाशित 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018' की स्क्रीनिंग परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 11 फरवरी, 2019 को घोषित चयन परिणाम में प्रवक्ता-रसायनशास्त्र (महिला शाखा) के साक्षात्कार दिनांक 20 मई, 2019 (सोमवार) हेतु सफल घोषित निम्नांकित तालिका में अंकित अभ्यर्थियों से उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित अभिलेख वांछित है :-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	नाम	वांछित अभिलेख
1	860311	NEETI TIWARI	1. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित।
2	860847	ARCHANA BHATT	1. पिता के नाम में भिन्नता सम्बन्धी शपथ-पत्र वांछित।
3	860898	POOJA BHANDARI	1. उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के साथ संबंधित तहसील से इस आशय का प्रमाण पत्र कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.10.2018 को अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अन्तर्गत आच्छादित थे, वांछित है।
4	860906	SHWETA RAWAT	1. एम0एस0सी0 उपाधि में पिता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र वांछित।
5	861014	HIMANI NEGI	1. बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं बी.एड की उपाधि वांछित।
6	861151	NIDHI LOHANI	1. अभ्यर्थी से विवाह सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र तथा पिता के नाम में भिन्नता सम्बन्धी शपथ-पत्र वांछित।
7	861189	ALIYA SAIFI	1. बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, बी.एड की उपाधि वांछित। 2. पिता के नाम में भिन्नता सम्बन्धी शपथ-पत्र वांछित।
8	861254	REKHA MEHTA	1. पिता के नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में शपथ-पत्र वांछित।
9	861375	KM SUMAN NEGI	1. एम0एस0सी0 की समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं वांछित।
10	861726	POOJA RANI	1. अभिलेखों में पिता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र एवं विवाह सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र वांछित।
11	861772	ANJALI SAINI	1. अभिलेखों में पिता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र एवं विवाह सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र वांछित।
12	861781	DOLLY	1. अभिलेखों में पिता के नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र एवं विवाह सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र वांछित।
13	862019	ANCHAL GAHLAUT	1. बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष की अंकतालिका एवं बी0एड0 की उपाधि वांछित।
14	862159	BRIJESH KUMARI	1. स्वयं एवं पिता के नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में शपथ-पत्र वांछित।
15	862224	ARTI CHAUKIYAL	1. पिता के नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में शपथ-पत्र वांछित।

उक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थी उनके नाम के सम्मुख अंकित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि 18 मई, 2019 तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें। वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में औपबन्धिक (Provisional) रूप से सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

  
03/5/15  
(अशोक कुमार पाण्डेय)  
प्र० सचिव।



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
आयोग भवन, हरिद्वार-249404  
Website : www.ukpsc.gov.in

☎01334-244143

संख्या : 36/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक : 07 मई 2019

**साक्षात्कार –ज्ञाप**

एतद्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 428-430/2019 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के अन्तर्गत प्रवक्ता-रसायन शास्त्र (महिला शाखा) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार-कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक 20 मई, 2019 (सोमवार) को निर्धारित है।

2-इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे-

(क) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)

(ख) प्रमाणीकरण-प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)

(ग) देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।

3- अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
3. स्नातक समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
4. परास्नातक समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
5. बी0एड0 की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि अथवा एल0टी0 डिप्लोमा।
6. यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवायोजित हो तो विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
7. स्थाई निवास/आरक्षण की उध्वार्धर (SC, ST, OBC) एवं क्षैतिज (UF, EXS, PH, DFF) श्रेणी के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
8. अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
9. यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) मूल रूप में।
10. ऐसे अभ्यर्थी जिनका उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 से पूर्व का हो, उन्हें नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित तहसील से इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा कि वे प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अन्तर्गत आच्छादित थे।

11. यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य प्रस्तुत करें।

4- साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क ₹ 80.00 (आरक्षित वर्ग से रु. 30.00) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।


5- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6- यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7- किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में औपबन्धिक (Provisional) रूप से सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8- विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

9- आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

  
02/5/19  
(अशोक कुमार पाण्डेय)  
प्रभारी सचिव।



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
आयोग भवन, हरिद्वार-249404  
Website : www.ukpsc.gov.in

01334.244143

संख्या : 35/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक : 07 मई, 2019

**साक्षात्कार कार्यक्रम**

एतद्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 428-430/2019 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के अन्तर्गत प्रवक्ता-रसायन शास्त्र (महिला शाखा) के रिक्त 12 पदों (SC-2, OBC-3, UR-7) सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को सम्पन्न स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित है :-

**साक्षात्कार तिथि : 20 मई, 2019 (सोमवार)**

**1. उपस्थिति समय :: प्रथम सत्र :: पूर्वाह्न 09:30 बजे**

861772	861189	861274	862159	861014	862224	861410	860176
862019	860172	861466	860650	861311	861375	860596	861151

**2. उपस्थिति समय :: द्वितीय सत्र :: अपराह्न 12:30 बजे**

861287	861617	860906	860847	861391	861781	861254	861243
860311	861228	860898	861726	860144	861616	860660	-

**नोट :**

- उपरोक्त साक्षात्कार परीक्षा हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाईन साक्षात्कार-ज्ञाप जारी किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी साक्षात्कार-ज्ञाप के साथ विस्तृत आवेदन-पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) तथा देशना-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-04) डाउनलोड करें तथा उन्हें पूर्ण रूप से भरते हुए अपने सभी प्रमाण-पत्रों और अंक-तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों (छायाप्रति) के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को समस्त शैक्षिक अर्हता/अधिमानि अर्हता/आरक्षण/अनुभव प्रमाण-पत्र मूल रूप में सत्यापन हेतु आयोग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- साक्षात्कार तिथि को समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति व मूल अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में औपबन्धिक (Provisional) रूप से सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

05. अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार-ज्ञाप प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
06. उक्त तिथि को साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का मूल अभिलेखों से सत्यापन, अनुक्रमांकवार प्रथम सत्र में पूर्वाह्न 09:30 बजे से तथा द्वितीय सत्र में अपराह्न 12:30 बजे से प्रारम्भ होगा।

  
07/5/15  
(अशोक कुमार पाण्डेय)  
प्रभारी सचिव।



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
आयोग भवन, हरिद्वार-249404  
Website : www.ukpsc.gov.in

01334.244143

संख्या : 37/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक : 07 मई, 2019

**अनर्ह सूची/ज्ञाप**

एतद्वारा विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के माध्यम से प्रकाशित 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018' की स्क्रीनिंग परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 11 फरवरी, 2019 को घोषित चयन परिणाम में प्रवक्ता-रसायनशास्त्र (महिला शाखा) के साक्षात्कार दिनांक 20 मई, 2019 (सोमवार) हेतु सफल घोषित निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख कारण से अनर्ह घोषित करते हुए उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है :-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	नाम	अनर्हता का कारण
1	861971	DEEPA	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित संख्या : 623/60/01/डी.आर.(मा.शि.) /सेवा-1/2016-17 दिनांक 11 फरवरी, 2019 के अनुपालन में आवेदन पत्र की छायाप्रति एवं अन्य अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 28.02.2019 तक प्राप्त नहीं कराये गये हैं। उक्त के क्रम में अभ्यर्थी को विज्ञापित में निर्धारित शर्त को पूर्ण न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थन निरस्त।

अनर्ह अभ्यर्थी अपनी अनर्हता के संबंध में दिनांक 15 मई, 2019 तक आयोग कार्यालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

  
(अशोक कुमार पाण्डेय)  
प्रभारी सचिव।